न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 136/2016 दायरा दिनांक : 03.08.2016

उनवान

शीतल कुमार आत्मज नेमीचन्द, जाति महाजन, निवासी धतूरिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— यशवन्त कुमार दत्तक पुत्र मोतीलाल, जाति महाजन, निवासी धतूरिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार गंगधार, जिला झालावाड़

3— शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा डग, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री वाई एस भटनागर अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 24.01.2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – ..../दावा/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है, जो निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम डिक्री कर खातेदार धूलीबाई के हिस्सा 1/2 हिस्सा आराजी पर रेस्पोडेंट क्रम 1 को खातेदार घोषित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा प्रस्तुत होने के बाद ही सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया को नजर अन्दाज कर रेस्पोडेंट क्रम 1 यशवन्त कुमार का दावा केवल 5 दिन में ही लोक अदालत केम्प डग में डिक्री करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट क्रम 1 के द्वारा जमाबंदी सम्वत 2069 से 72 खाता संख्या 378 में वर्णित 25 किता की रकबा 34 बीघा 7 बिस्वा आराजी वादी यशवन्त सिंह एवं खातेदार धूलीबाई के खाते में होना बताकर अपने आपको मोतीलाल का गोद पुत्र बताकर मृतक धूली बाई के हिस्से पर गोद पुत्र के आधार पर अपना नाम दर्ज करवाने बाबत दावा पेश किया था अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद डिक्री कर दिया जो अवैधानिक है । अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने तथ्य छिपाकर वाद पेश किया जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत गोदनामा दिनांक 18.05.2001 पर खातेदार धूली बाई के कोई हस्ताक्षर नहीं है और धूली बाई ने कभी भी दत्तक पुत्र मोती लाल को सहमति नहीं दी एवं यशवन्त सिंह के माता पिता की भी सहमति बाबत गोद पुत्र पर कोई हस्ताक्षर नहीं है ऐसी स्थिति में खातेदार धूलीबाई की आराजी गोदनामा दिनांक 18.05.2001 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट क्रम 1 के खाते में दर्ज करने का आदेश देने में त्रुटि की है । दावे में वर्णित आराजी पर खातेदार मोतीलाल की मृत्यु के बाद तथाकथित गोद पत्र दिनांक 18.05.2001 के आधार पर वादी का नाम भी गलत रूप से दर्ज

किया गया । वर्तमान में भी धूली बाई 1/2 हिस्से की खातेदार है । विवादित आराजी धूली बाई बेवा मोती लाल का भी सहखातेदारी में नाम था और वह 1/2 हिस्से की Absolute owner थी सहखातेदार धूली बाई ने अपने जीवनकाल में ही अपीलांट शीतल कुमार के हक में एक वसीयतनामा दिनांक 23.11.20012 को लिखवाकर उपपंजीयक डग के कार्यालय में दिनांक 07.12.2012 को पंजीकृत करवाकर दावे में वर्णित आराजी मेंसे खसरा नम्बर 365 की 10 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 649 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 651 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 655 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 656 रकबा 13 बिस्वा, कुल किता 5 कुल रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा में से 1/2 हिस्से का वसीयती उत्तराधिकारी बना दिया था । इसी आधार पर वसीयतनामे में वर्णित आराजियात पर अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है । वादी रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के हक में हुए वसीयतनामा दिनांक 07.12.2012 को जो उपपंजीयक डग के द्वारा तस्दीक किया गया है की जानकारी के तथ्य को छिपाते हुए केवल सरकार को पक्षकार बनाकर दावे में वर्णित आराजी के मामल में दावा डिक्री किया है, जो अवैधानिक है । यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पक्षकार बनाया जाता तो अपीलांट भी अपनी जवाबदेही प्रस्तुत करता और सभी तथ्यों को जाहिर करता । अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट द्वारा सरकार के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी पी सी के तहत भी कोई नोटिस देना जाहिर नहीं होता एवं सरकार की भी तलबी कराना भी जाहिर नहीं होता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2016 निरस्त की जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अभिभाषक अपीलांट ने आर आर टी 2017 (2) पेज 1074 की नजीर पेश की जो शामिल पत्रावली की गई ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये प्रकरण निर्णय किया गया है । अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अपास्त करना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारों को उचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.03.2020 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा